

Reg. No- 484/19

19. 11. 2019 आत्म समर्पित अभियुक्तागण 1. संगीता देवी एवं 2. पुनकला देवी की ओर से नवीन अधिकार पत्र के साथ जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया है जिसकी प्रति विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

वाद पुकारा गया, पुकार पर आत्म समर्पित अभियुक्तागण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थिति हुए। जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित करते हुए इनका कथन है कि प्रार्थीगण निर्दोष है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तागण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 341, 323, 324, 504, 354, 379, 34 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें भा0दं0वि0 की धारा 354 एवं 379 को छोड़कर सभी जमानतीय प्रकृति के हैं। प्रार्थीगण अपने सक्षम जमानदारों द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

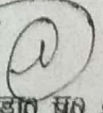
विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि है। अभियुक्तागण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 341, 323, 324, 504, 354, 379, 34 के अंतर्गत प्राथमिकी की गई है जिसमें भा0दं0वि0 की धारा 354 एवं 379 को छोड़कर सभी जमानतीय प्रकृति के हैं। ये दोनों महिलायें हैं, और इनके उपर प्राथमिकी आवेदन में सूचिका के द्वारा हंसुली और बाली लेने का आरोप लगाया है, उभय पक्षों में जमीनी विवाद है तथा दोनों के बीच मुकदमा दर्ज है। आरोप सत्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव इनके सक्षम जमानतदारों द्वारा 5000 X2 समान धन राशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित


न्या0 दण्डा0 प्र0 श्रेणी,पुपरी

19. 11. 2019 उपरोक्त आदेशानुसार आत्म समर्पित अभियुक्तागण के जमानतदारों द्वारा सत्यापित बंधपत्र दाखिल किया गया। जिसे सही वो संतोषप्रद पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित 
न्या0 दण्डा0 प्र0 श्रेणी,पुपरी